भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 235
30 नवंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार

235. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कुल कितने पात्र लाभार्थी कोविड-19 से संक्रमित हुए;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के कुल कितने लाभार्थियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया है अथवा किसी रूप में इस योजना से लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या कोविड-19 के उपचार के लिए योजना का लाभ उठाने वाले कुल लाभार्थियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका कितना लाभ उठाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी उपचार और रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी, जैसी दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की लागत को निःशुल्क उपचार के दायरे में शमिल किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, कोविड-19 महामारी के विरुद्ध अनुक्रिया प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 की जांच और उपचार सुविधा नि:शुल्क प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करता रहा है।

जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई, तब प्रारंभ में कोविड संबंधी उपचार प्रदान करने के लिए मौजूदा उपचार पैकेज़ों का प्रयोग किया गया था। बाद में, कोविड-19 के उपचार और जांच के लिए विशेष पैकेजों को लाया गया है। अनेक राज्य सरकारों ने सभी निवासियों के लिए कोविड-19 की जांच और उपचार नि:शुल्क करने का निर्णय लिया था। जबकि उनमें से कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म सहित आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई इकॉसिस्टम का प्रयोग किया, अन्य राज्यों ने अपने

स्वयं की आईटी प्रणालियों का प्रयोग किया। इसलिए, कोविड-19 के उपचारों को एबी-पीएमजेएवाई के सामान्य और कोविड-19 विशिष्ट दोनों तरह के पैकेज़ों के अंतर्गत लाया गया है।

विगत दो वर्षों में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कोविड-19 के उपचार के लिए लगभग 8.3 लाख अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है। यह आंकड़े एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर दर्ज संव्यवहारों के साथ-साथ राज्यों द्वारा अपनी स्वयं की आईटी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए साझा की गई सूचना के संदर्भ में हैं।

स्कीम के लाभ देशभर में लागू हैं अर्थात लाभार्थी (ग्रामीण/शहरी) नकद रहित उपचार प्राप्त करने के लिए भारत में किसी भी पैनलबद्ध या निजी अस्पताल में जा सकता है। इसलिए, उन लाभार्थियों का ब्यौरा शहरी-ग्रामीण तौर पर नहीं रखा जाता जिन्होंने एबी-पीएमजेएवाई के तहत कोविड-19 उपचार की सुविधा ली है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, उपचार पैकेज़ों को समेकित रूप में रखा गया है और इसमें उपचार के सभी पहलुओं को कवर किया गया है जैसे कि औषधियां, दवाएं, ऑक्सीजन, स्कीम के तहत उपचारित रोग की विशिष्ट नैदानिक सेवाएं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विशेषकर कोविड-19 के उपचार के लिए पैकेज़ों को अपने हिसाब से रखने की छूट दी गई है।

******